



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 332]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2025—अग्रहायण 14, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्र. एफ ए-3-04-2019-1-पांच (43).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-04-2019-1-पांच (14), दिनांक 08 फरवरी, 2019, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) "नामित एजेन्सी" से अभिप्राय, अधिसूचना संख्या 45/2025— सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के तालिका 1 से संलग्न सूची 13, 14 और 15 में उल्लेखित निकाय से है;

2. यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 2025 से प्रवृत्त मानी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2025

क्र. एफ ए-3-04-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-04-2019-1-पांच (43), दिनांक 5 दिसम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2025

No. FA-3-04-2019-1-V-(43).--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department's notification No. FA-3-04-2019-1-V (14) dated the 8th February, 2019, namely:--

In the said notification, in the Explanation, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:--;

"(c) "Nominated Agency" means entities mentioned in Lists 13,14 and 15 appended to Table 1 of notification No. 45/2025- Customs, dated the 24th October, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i);"

2. This notification shall be deemed to have come into effect from 1st day of November, 2025.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VANDANA SHARMA, Dy. Secy.